संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 15-09-2021**

आज दिनांक 15.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 09 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 09 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता राम सहाय पुत्र छविलाल निवासी लौकी लाला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 09 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 303 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी टीम- हे0कां0 बृजेश पाण्डेय, हे0कां0 मोतीलाल पाण्डेय।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत विश्वनाथपुर से इवेन्ट संख्या 10613 से मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति **(योगेन्द्र पुत्र राजदेव यादव निवासी गालिबपुर)** के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 04 में घटना स्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन से प्रा0 स्वा0 केन्द्र नाथनगर में भर्ती कराया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना महुली को अवगत गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 राणा प्रताप सिंह, आ0 शमशेर अली, हो0गा0चा0 रामप्रकाश पाण्डेय।

संतकबीरनगर पुलिस

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 107 वाहनो से 113500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.08.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 107 वाहनो से 113500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।